



2026:AHC-LKO:41471-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5864 वर्ष 2026

सूर्यवंशी

.याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से एवं 3 अन्य

.....विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता	: अभिषेक सिंह
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 2माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानियामाननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. वर्तमान याचिका प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.06.2026, जो एफ.आई.आर. संख्या 0207 वर्ष 2026, धारा 115(2), 352 एवं 351(3), भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के अंतर्गत दर्ज है, को निरस्त किए जाने हेतु दाखिल की गई है।

2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु का अवलोकन किया है। याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 में निहित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रावधानों के लाभ का अधिकारी है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए के अनुरूप हैं।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि कथित रूप से कारित अपराध/अपराधों के लिए अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास का दण्ड निर्धारित है और पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35, जिसमें धारा 35(3) से धारा 35(6) तक के प्रावधान भी सम्मिलित हैं, में विहित रीति, ढंग एवं प्रक्रिया का अनुपालन करेगी। ऐसी परिस्थितियों में, विवेचना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।

4. यह उल्लेख करना उचित होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के इसी प्रकार के प्रावधान, अर्थात् धारा 41-ए, को ध्यान में रखते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273** के मामले में निम्नवत् अभिमत व्यक्त किया है।

5. हमने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर विचार किया है। **अर्नेश कुमार** के मामले (उपर्युक्त) में निम्नलिखित (प्रासंगिक अंश) प्रतिपादित किया गया है :

“9. एक अन्य प्रावधान अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए, जिसका उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी से बचना अथवा अभियुक्त पर मंडराते गिरफ्तारी के खतरे को टालना है, को प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(संशोधन) अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2009) की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित धारा 41-ए, जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है, निम्नवत् है :”

“41-ए. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना।—

(1) ऐसे सभी मामलों में, जिनमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 41 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त शिकायत की गई है, अथवा जिसके संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, अथवा जिसके द्वारा किसी संज्ञेय अपराध को कारित किया जाना युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध है, उसके समक्ष अथवा सूचना में विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित करते हुए सूचना जारी करेगा।”

(2) जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है, वहाँ उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त सूचना में निहित शर्तों का अनुपालन करे।

(3) जहाँ ऐसा व्यक्ति उक्त सूचना का अनुपालन करता है और निरंतर उसका अनुपालन करता रहता है, वहाँ उसे सूचना में उल्लिखित अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(4) जहाँ ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना में निहित शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा अपनी पहचान बताने के लिए इच्छुक नहीं है, वहाँ पुलिस अधिकारी, इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के अधीन रहते हुए, सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है।”

“उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे सभी मामलों में, जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, पुलिस अधिकारी के लिए अभियुक्त को किसी निर्दिष्ट स्थान एवं समय पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित करते हुए सूचना जारी करना आवश्यक है। विधि ऐसे अभियुक्त पर पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का दायित्व अधिरोपित करती है तथा यह भी अधिदेशित करती है कि यदि ऐसा अभियुक्त सूचना में निहित शर्तों का अनुपालन करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए अपेक्षित पूर्ववर्ती शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है और ऐसी गिरफ्तारी भी उपर्युक्तानुसार मजिस्ट्रेट द्वारा उसी प्रकार की जांच के अधीन होगी।”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए तथा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को भी ध्यान में रखते हुए कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त पक्ष के दृष्टिगत याचिका का निस्तारण किया जा सकता है, तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार** के मामले (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय में की गई टिप्पणियों, जिनका प्रासंगिक अंश ऊपर उद्धृत किया गया है, को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि पुलिस अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार मामले में कड़ाई से कार्यवाही करेंगे, जिसमें गिरफ्तारी के लिए रीति, ढंग एवं प्रक्रिया विहित की गई है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) की धारा 41-ए के प्रावधानों के अनुरूप हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार** के मामले (उपर्युक्त) में स्पष्ट किया गया है।

दिनांक : 18 जून, 2026

के.के.वी./

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।